न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 785/2016

1. मंगुसिंह } पुत्रान श्री मोहनसिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली तहसील
2. जगसीरसिंह } सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रदीपसिंह (नाबालिग) } पुत्रान श्री जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी
4. सुखमनसिंह (नाबालिग) } जोधेवाला जरिये कुदरतवली पिता जगजीतसिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. हरप्रीतसिंह (नाबालिग) पुत्र श्री जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला जरिये कुदरतवली पिता जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. जगजीतसिंह पुत्र श्री जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. कुलवन्त कौर पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेव कौर पत्नि श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसपाल कौर पत्नि श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री नरेश कुमार गाबा अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष मिढ़ा अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री प्रदीप कुमार सिहाग अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 2 व 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.06.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण चक 28 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28–29 के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 व किला नम्बर 1, 2, 3, 8 से 13, 18 से 23 कुल 5.060 हैक्टर खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थीगण के उक्त रकबा के लिये कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है प्रार्थीगण के उक्त रकबा के साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि चक 28 जी.जी. तहसील व जिला

लगातार ____ 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 4, 5 लगता हुआ है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 4, 5 लगता हुआ है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक में 0.025 हैक्टर अर्थात 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है तथा मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता चालू है प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1 से 4, 7 से 14, 17, 18, 23, 24 में जानें के लिये रास्ता नहीं है जिसमें प्रार्थीगण को अपनी काश्त करनें के लिये अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के मन में लालच आया हुआ है तथा वह उक्त प्रचलित रास्ता को बन्द करना चाहते है अगर वह सफल होते है, तो दिक्कते पैदा होगी अतः प्रचिलत रास्ता को स्वीकृत करवाया जाकर रिकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक है, जिससे भविष्य में कोई विवाद पैदा ना हो सके इसके अलावा अन्य कोई रास्ता ना तो है एवम् ना ही सुविधाजन हो सकता है अतः प्रार्थी के रकबा के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करना जरूरी है रास्ता की सुविधा प्रदान करना कानूनी जरूरी है।

अतः चक 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5, 4 में प्रचलित रास्ता 1 बिस्वा यानि $8^{1/4}$ फुट को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के खाते से सम्बंधित समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया जबाब प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कथन किया गया कि मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में कभी भी रास्ता चालू नहीं रहा है। उत्तरदादातागण अपनी भूमि में काश्त करते आ रहे है। तथा किला नम्बर 16 में पक्के कमरे का निर्माण किया हुआ है जिसमें उत्तरदातागण की भूमि के काश्त हेतु उपयोग में आनें वाले औजार एवम् अन्य उपयोगी सामान रखा हुआ है। प्रार्थीगण अपनी भूमि में काश्त करनें हेतु कभी भी उत्तरदात्तागण की भूमि में से नहीं आते जाते रहे है। प्रार्थीगण द्वारा किये गये तमाम कथन निराधार एवम् झूठे है। जो कि केवल मात्र प्रार्थना पत्र कों रचित करनें हेतु एवम् उत्तरदातागण जो कि औरतजात है को तंग परेशान करनें हेतु अंकित किये गये है।

उत्तरदात्तागण की भूमि में से प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा है। इस प्रकार जब कभी रास्ता चालू ही नहीं रहा है तो उसको बन्द करनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त रास्ते से सम्बंधित अन्य विचाराधीन पत्रावली संख्या 230/2015 अनवान टेकसिंह बनाम सुखेदव कौर में मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है, इस कारण रास्ते को आगे बढ़ाया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A13
3

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में मन्जूर शुद्धा रास्ते को आगे बढ़ाते हुए मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5, 6, तथा मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5, 4 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है, जिसका मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दुगना प्रार्थीगण सम्बंधित काश्तकारान को अदा करेंगें।

प्रार्थीगण द्वारा मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकारान को तहसीलदार अपनें स्तर पर उनके हिस्सा अनुसार राशि का वितरण करेगें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर